



2026:AHC:53204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9598/2026

अखिलेश कुमार खरे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: दुर्गेश कुमार पांडे

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. याची द्वारा वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है:-

[I] परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 7212/21/2005-2006, कम्प्यूटर वाद संख्या डी200516670010 (राधामोहन एवं अन्य बनाम मिथलेश कुमार एवं अन्य), जो कि धारा 229-बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अंतर्गत लंबित है, का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित एवं समयबद्ध अवधि के भीतर करें।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निस्तारण **विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से तीन माह की अवधि के भीतर** करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

7. निबंधक (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही को जिला मजिस्ट्रेट, भदोही के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026